

राजस्थान सरकार
कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
तहसील जातिविभाग, जिला अधिकार



जाति प्रमाण पत्र

क्रमांक: प.सुगम/ जा.प. / 1013 / 4623

दिनांक 26/08/2013

प्रमाणित किया जाता है कि

प्रार्थी श्री / सुश्री / श्रीमती	प्रार्थी गोहर
पुत्र / पुत्री / पत्नी	श्री महेन लाल
निवासी	आलावाड़
जिला / डिवीजन	आलावाड़ राज्य / संघ राज्य / राजस्थान

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रार्थी / प्रार्थीनी जाति / समुदाय
का है जिसे निम्नांकित अनुसार अनुसूचित जाति
जो अनुसूचित जाति की सूची संख्या में क्रम सं.

मेहर
के रूप में मान्यता दी गयी है।
पर दर्ज है।

- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950
- संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचिया (संशोधन) आदेश 1956
- मुख्य पुर्नगठन अधिनियम 1960, पंजाब पुर्नगठन अधिनियम 1966
- हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 उत्तरपूर्वीय क्षेत्र (पूर्नगठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति तथा –
– अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किए गये अनुसार
- संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956
- अनुसूचित जाति तथा जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान –
– (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959
- संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962
- संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962
- संविधान (पांडीचेरी) अनुसूचित जाति, आदेश 1964
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) उत्तरप्रदेश, आदेश 1967
- संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति, आदेश 1968
- संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1968
- संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1970
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1969
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन अधिनियम, 1991
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश द्वितीय संशोधन अधिनियम, 1991

श्री / सुश्री / श्रीमती प्रार्थी गोहर
जाति मेहर
जिला / डिवीजन आलावाड़

पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री गहेन लाल
निवासी आलावाड़
राज्य राजस्थान में साधारण तौर से निवास करते हैं।

स्थान : आलावाड़
दिनांक : 26/08/2013

(नोट : कृपया उन शब्दों को हटा दीजिए जो लागू नहीं हैं)
यहाँ प्रयुक्त हुये "साधारण तौर से निवास" शब्दों का अर्थ यही होगा जो जनप्रतिमिधित्य 1950 धारा 20 में है।

हस्ताक्षर वा कार्यालय नोहर
तालिम एवं नियन्त्रण